न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 98/2015

निर्णय दिनांक :– 19.08.2015

गीता पत्नी रामलाल रेगर निवासी ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार उनियारा मु0 अलीगढ़ जिला टोक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री दिनेश मोरवाल एडवोकेट , वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार प्रतिपक्षी की ओर से

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

यह कि प्रार्थीया के स्वामित्व एंव अधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 1.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.09 हैक्टर हिस्सा 1/2 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0) में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार मंगलाराम पुत्र गंगाराम जाति मोग्या निवासी धारोला से दिनांक 14.06.2005 को खरीद कर मोके पर कब्जा सम्भाल लिया था, तब से ही प्रार्थीया का निर्विरोध कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का नामान्तकरण भी प्रार्थीया के पक्ष में खोला जाकर सम्भत् 2062 से 65 को जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम का अंकन हो रखा है। उक्त आराजीयात का शेष 1/2 हिस्सा रामगोपाल पुत्र हरचन्द्र मोग्या निवासी धारोला के खातेदारी में था, जिसमें 1/6 हिस्सा खातेदार रामगोपाल ने निवासी पत्नी मोजीराम मीना को तथा 1/3 हिस्सा कमला देवी पत्नी घासीलाल कुम्हार का विक्रय कर दिया था, जिसका अंकन भी सं0 2062 से 65 को जमाबन्दी में हो गया था, इस प्रकार खातेदार मंगलाराम व रामगोपाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सापूर्ण हिस्साविक्रय कर दिया था। सं0 2065 के बाद नई जमाबन्दी सं0 2066–69 बनति समय राजस्व कर्मचारीयों ने त्रुटिवश जमाबन्दी में प्रार्थीया गीता पत्नी रामलाल रेगर हिस्सा 1/2 के स्थान पर रामगोपाल पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित एंव आवश्यक है। आज से एक माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मुआवजा राशि सूची में प्रार्थीया का नाम नहीं आने से प्रार्थीया को आज से एक माह पूर्व जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना है कि खाता संख्या नया 262 खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 1.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.09 हैक्टर हिस्सा 1/2 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड में त्रूटी पूर्ण अंकन रामगोपाल पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/2 को दुरूस्त करते हुए गीता पत्नी रामलाल रेगर हिस्सा 1/2 अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

नायब तहसीलदार अलीगढ पेरोकार राज ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया की नामांकन संख्या 601 दिनांक 04.08.2005 से विक्रय से मंगलाराम की बजाय गीता पत्नी रामलाल जाति रेगर हिस्सा 1/2 हिस्सा स्विकार हुआ तथा नामांकन नम्बर 670 दिनांक 20.09.2006 से जरीये रजिस्ट्री बेचान रामगोपाल पुत्र हरचन्दा मोग्या हिस्सा 1/6 नुवासी पत्नी मोजीराम जाति मीना निवासी धारोला स्वीकार हुआ नामांकरण संख्या 745 दिनांक 20.06.2008 से विक्रय पत्र से रामगोपाल पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/3 कमला देवी पत्नी घासी लाल जाति कुम्हार के नाम स्वीकार हो चुका है लेकिन जमाबन्दी 2066 से 2069 बनाते समय रामगोपाल पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/2 जाति मोग्या विक्रय से नुवासी धर्म पत्नी मोजीराम हिस्सा 1/6 कमला देवी धर्म पत्नी घासी लाल कुम्हार हिस्सा 1/3 सा. देह के नाम अमल हो चुका है लेकिन नामाकन नम्बर 601 दिनांक 04.08.2005 से बेचान से मंगलाराम के बजाय गीता पत्नी रामलाल जाति रेगर हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार का अमल नहीं किया जाकर रामगोपाल पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/2 जाति मोग्या का नाम गलत दर्ज किया गया है गीता पत्नी रामलाल जाति रेगर हिस्सा 1/2 मुताबिक नामाकंरण दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली एंव उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति रजिस्ट्रड विक्रेता पर दिनांक 14.06.2005 नकल जमाबन्दी संवत 2062 से 2065 नकल जमाबन्दी 2066 से 2069 नकल जमाबन्दी 2070 से 2074 नकल नामांतरण 601 दिनांक 04.08.2005, नकल नामांतरण 670 दिनांक 20.09.2006 नकल प्रार्थना पत्र केक्प प्रभारी अलीगढ प्रस्तुत किये है उक्त दस्तावेजात व नायाब तहसीलदार अलीगढ पेरोकार राज. रिपोर्ट से भी प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की पुष्टी होती है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशीत किया जाता है कि आराजी खाता संख्या नया 262 खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1949 रकबा 1.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.09 हैक्टर हिस्सा 1/2 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रामगोपाल पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/2 जाति मोग्या के स्थान पर गीता पत्नी रामलाल जाति रेगर हिस्सा 1/2 अंकित करते हुए राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करें ।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2015 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

सुभाषचन्द्र शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner